Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,

स्कूल शिक्षा, राजस्थान , जयपुर

विषय – निदेशक बीकानेर के पत्र क्रमॉक 323 दि0 17.11.2014 के सम्बन्ध मे ।

प्रसंग – नि : शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जारी निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे निवेदन इस प्रकार है –

शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है जिसे निजी शिक्षण संस्थाएँ उनसे कम खर्चे मे बखूबी निभा रही है फिर भी सरकार का दौहरा रवैया क्यो ?

1. अधिनियम के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के प्रतिवर्ष प्रतिबालक खर्च निर्धारण राशि अथवा संबन्धित स्कूल द्वारा अन्य छात्रों से ली जा रही वास्तविक राशि मे से जो भी कम हो, को देने का प्रावधान है । तो आप फिर क्यो हर बार प्रावधानों को उल्लघन कर कम राशि क्यूँ दी जाती है ?
2. विधालय द्वारा विधार्थी से ली जाने वाली प्रत्येक राशि को (फीस कमेटी) फीस ही मानती है जबकि राज्य सरकार केवल टयूशन फीस को ही फीस मानते है । दौहरा रवैया क्यो ?
3. आपके द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिबालक राशि की गणना को देखे तो प्रतिवर्ष बढौत्तरी प्रतिशत लगभग 17 % रही है लेकिन संस्था को 11 प्रतिशत से उपर बढौत्तरी नही करने देते हो । यह दौहरा रवैया क्यो ?
4. एक फरफ फीस कमेटी ने जिसमे आप भी हो सभी संस्थाआं से पाठयपुस्तक नही बेचने का शपथ पत्र ले लिया है दूसरी और आप अनिवार्य एवं नि : शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को पाठय पुस्तक उपलब्ध न कराने पर पुन : भरण राशि नही देने का निर्देश देते है । ऐसा दौहरा रवैया क्यो ?
5. माना पाठय पुस्तक हम कही से ला कर भी उपलब्ध करवा दे वे लेकिन आपने पुन : भरण मे 107 रू0 ही कीमत रखी है जबकि वास्तविक कीमत इससे कहीं ज्यादा है तो बाकी का भुगतान कौन करेगा ?
6. आरटीई एक्ट के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष प्रतिबालक फीस निर्धारण कमेटी मे निजी शिक्षण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि होना आवश्यक है लेकिन राज्य सरकार ने आज तक मनोनीत नही किया – क्या यह उचित है ?

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Total

7. आपके कार्यालय द्वारा जारी दिशा –निर्देशो मे एवं एक्ट 2009 के प्रावधानों मे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि/ फीस कमेटी द्वारा निर्धारित राशि/ अथवा विधालय द्वारा ली जा रही वास्तविक राशि मे मे जो भी कम हो, का पुन : भरण किया जाये लेकिन आज तक ऐसा नही हुआ । हम बार पिछले साल की तय राशि ही दी जाती है क्यो ?

सर हमारा आपसे स्पष्ट निवेदन है कि जितने भी क्यों हमने आपको लिखे है वे सही एवं तथ्यानुसार है यदि इनका जवाब नही मिलता है तो समझा जायेगा कि सरकार अनिवार्य एवं नि : शुल्क शिक्षा अधिनियम के प्रति गंम्भीर नही है तो भविष्य मे इसके प्रति निजी शिक्षण संस्थानो का लापरवाह होना लाजमी होगा ।

हमारा आपसे निवेदन है कि आप द्वारा निर्देशो के उपरान्त निदेशक प्रा0 शिक्षा द्वारा जारी आदेश क्रमॉक 323 दि0 17.11.2014 को तत्काल प्रभाव से वापस लेवे अथवा पुन : भरण राशि मे (यदि आपने पाठयपुस्तकों की कीमत शामिल करली हो तो) उनकी कीमत काट कर पुन : भरण की मूल राशि दिलवाने के निर्देश जारी करावे ।

सचिव

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Topics

प्रतिलिपि – श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक को भिजवा कर लेख है कि हम संस्था से किसी को पाठयपुस्तके उपलब्ध नही करवाते है सभी को बाजार से खरीदनी होती है । अत : पुन :भरण हेतु पाठयपुस्तके उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र हम आपको उपलब्ध नही करा पायेगे । आप अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए पुन – भरण की राशि शीघ्र देने का कष्ट करावे ।